दिनांक 15.03.2018 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सभी योजना के नोडल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. कृषि यांत्रिकीकरण योजना :–

1.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 180.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 81.05 करोड़ रू0 व्यय हुआ है। राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकीकरण द्वारा बताया गया कि लगभग 120 करोड़ रू0 तक व्यय होने की सम्भावना है।

1.2 नोडल पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 10.03.2010 को परमिट निर्गत करने की तिथि समाप्त हो गयी है परन्तु कुछ जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा इस तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। निदेश दिया गया कि परमिट निर्गत करने की तिथि को 20.03.2018 तक बढ़ाने हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान करने के लिए संचिका प्रस्तुत किया जाय।

1.3 SMAM योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु शिवहर, अरवल, शेखपुरा अररिया, जहानाबाद, नालन्दा, किशनगंज एवं सहरसा जिलों में आवेदन पत्र प्राप्त है लेकिन जिला पदाधिकारी के स्तर से स्वीकृति नहीं हुई है। बैठक के क्रम में ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद, नालन्दा, किशनगंज एवं शेखपुरा सें इस सम्बंध में वार्ता की गई तथा उनसे कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :– इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 89.45 करोड़ रू0 के विरूद्ध 41.67 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। प्रभारी पदाधिकारी, एन0एफ0एस0एम0 द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत कुल 72 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि हुई है। इसके अनुसार लगभग 65 करोड़ रू0 की निकासी हो सकेगी। अभी तक आठ जिलों यथा– भभुआ, रोहतास, पश्चिम चम्पारण, लखीसराय, भागलपुर, बक्सर, नवादा एवं शेखपुरा जिला में निकासी शून्य है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी से फोन पर वार्ता कर अविलम्ब राशि की निकासी कराने का निदेश दिया गया।

3. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजनाअन्तर्गत कुल वित्तीय लक्ष्य 936.64 लाख रू0 में से जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा Google.doc पर लोड किये गये प्रतिवेदन के अनुसार 381.41 लाख रू0 निकासी की गई है। कुछ जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा Google.doc पर प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय तथा अवशेष राशि को अविलम्ब प्रत्यर्पित कराया जाय।

4. बीज :–

4.1 सब–मिशन ऑन सीड एवं प्लांटिंग मैटेरियल योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 18.12 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 2.91 करोड़ रू0 की निकासी हुई है।

4.2 राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम हेतु कुल वित्तीय लक्ष्य 1367.89 लाख रू0 के विरूद्ध 723.36 लाख रू0, एकीकृत बीज ग्राम योजना हेतु कुल वित्तीय लक्ष्य 60.67 लाख रू0 में से 10.61 लाख रू0, मिनीकीट, खरीफ हेतु कुल वित्तीय लक्ष्य 489.60 लाख रू0 में से 40.89 लाख रू0, अनुदान पर बीज वितरण मद में कुल वित्तीय लक्ष्य 3471.83 लाख रू0 में से 874.77 लाख रू0 तथा आधार बीज पर अनुदान योजना हेतु कुल वित्तीय लक्ष्य 620.66 लाख रू0 में से 60.55 लाख रू0 की निकासी की गई है। राज्य योजना का कुल वित्तीय लक्ष्य 6010.65 लाख रू0 के विरूद्ध 1710.18 लाख रू0 की निकासी की गई है। मधेपुरा, जहानाबाद, अररिया, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, शिवहर एवं मुंगेर की उपलब्धि अभी तक 10 प्रतिशत से भी कम है। इन जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर राशि की निकासी कराने का निदेश दिया गया।

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

5.1 इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 225.90 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 145.27 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किये गये भौतिक उपलब्धि के अनुसार लगभग 150.00 करोड़ रू0 तक निकासी हो सकेगी।

5.2 रा0कृ0वि0यो0 से राजकीय बीज गुणन प्रक्षत्रों के घेराबन्दी एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 15.41 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृत की गई है। इस राशि की निकासी कृषि निदेशालय से की जानी है। बजट पदाधिकारी को अविलम्ब इस राशि की निकासी करने का निदेश दिया गया।

5.3 बजट पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 256 करोड़ रू0 एवं रा0खा0सु0मि0 का 15.10 करोड़ रू0 बामेती द्वारा वापस किया गया है। लेकिन इस में विपत्र कोड एवं वर्ष नहीं दर्शाया गया है। इसलिए इसे कोषागार में जमा करने में कठिनाई हो रही है।

6. बजट पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की 10.00 करोड़ रू0 की निकासी हो जायेगी। संचिका वित्त विभाग से आ गई है।

7. **एन0एम0ओ0ओ0पी0** :– प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 176.752 लाख रू0 में से अभी तक 27.92 लाख रू0 की निकासी हुई है। बीज में अब उपलब्धि नहीं हो सकेगी। पौधा संरक्षण, रसायन, जिप्सम/पाईराईट एवं पौधा संरक्षण यंत्र में कुछ राशि व्यय हो सकेगी।

8. मिट्टी बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 711.556 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 376.41 लाख रू0 व्यय हुआ है।

9. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ढ़ैचा बीज हेतु 2.80 करोड़ रू0 कृषि निदेशालय द्वारा निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को देना है। बजट पदाधिकारी को अविलम्ब इसकी निकासी करने का निदेश दिया गया।

10. वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर0ए0डी0) योजना अंतर्गत कुल आवंटित राशि 188 लाख रू0 में से अभी तक 164 लाख रू0 व्यय किया गया। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों से फोन पर वार्ता कर अधिक से अधिक राशि निकासी कराई जाय।

11. परम्परागत कृषि विकास योजना अंतर्गत आर0सी0 का चयन किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आर0सी0 को अग्रिम राशि उपलब्ध नहीं कराई जाय। इस आशय की सूचना से सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अवगत कराया जाय।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

19.3.18

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–36/15 (खंड) – 1687 पटना, दिनांक :– 19-3-2018

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–36/15(खंड) – 1687 पटना, दिनांक :– 19-3-201.

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.3.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।